to be manaufactured in the hundred percent export-oriented complexes or free trade zones.

[F.No.143/19/87—GC.]

Yuvaraj Gupta, Director (Gold Control)

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1988

का. आ. 865(अ).—मैं, के. वी. आर. नायर, प्रशासक स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 9 की उपधारा (2) और धारा 115 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 8 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी यह राय होने पर कि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयात और निर्यात नीति (1988-91) के भाग 2 के अध्याय 21 के पैरा 323(अ), पर अधिसूचित योजना में विनिर्दिष्ट विशेष परिस्थितियों और आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी किए गए आर ई पी परिपत्र सं. 22/88, तारीख 15-6-1988 द्वारा अनुदिष्ट प्रक्रिया से ऐसा अपेक्षित है, निम्नलिखित को, अर्थात् :—

(1) भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड की निम्नलिखित शाखाओं,—

(i) भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, एफ ब्लाक झंडेवालान फ्लैटेड फैक्ट्रीज प्रक्षेत्र, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055,

(ii) भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, सांताक्रुज प्रौद्योगिकी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, अंधेरी (पूर्वी) मुम्बई,—

(क) को, प्राथमिक स्वर्ण, स्वर्ण मध्यवर्तियों और संघटकों को जिनके अंतर्गत स्वर्ण मिश्र-धातु कैरेट स्वर्ण, रंजित स्वर्ण और 0.995, की शुद्धता और उससे कम की मात्राओं को अर्जित करने, प्रतिगृहीत करने या अन्यथा प्राप्त करने के लिए,

(ख) ऐसे स्वर्ण को शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी प्रक्षेत्रों या स्वतंत्र व्यापार जोनों में अनुज्ञप्त व्यौहारी का विक्रय करने, परिदत्त करने अन्तरित करने या अन्यथा व्ययनित करने के लिए,

(2) मद (1) (ख) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्त व्यौहारी को, भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड की पूर्वोक्त दोनों शाखाओं द्वारा इस प्रकार बेचे गए ऐसे स्वर्ण को अर्जित करने, प्रतिगृहित करने या अन्यथा प्राप्त करने के लिए, प्राधिकृत करता हूं :

परन्तु अनुज्ञप्त व्यौहारी ऐसा स्वर्ण किसी अन्य अनुज्ञप्त व्यौहारी को नहीं बेचेगा या अन्यथा व्ययन नहीं करेगा किन्तु—

(क) ऐसे स्वर्ण का शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी प्रक्षेत्रों या स्वतंत्र व्यापार जोनों के परिसरों के भीतर आभूषणों या वस्तुओं या दोनों के बनाने, विनिर्माण करने या तैयार करने में उपयोग कर सकेगा,

(ख) ऐसे स्वर्ण को शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख] प्रक्षेत्रों या स्वतंत्र व्यापार जोनों के परिसरों के भीतर आभूषणों या वस्तुओं या दोनों के बनाने, विनिर्माण करने या तैयार करने के प्रयोजन के लिए नियोजित किसी प्रमाणित स्वर्णकार को परिदत्त या अन्तरित कर सकेगा ।

[फा. सं. 143/19/87-जी सी]

के. वी. आर. नायर, स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक

New Delhi, the 14th September, 1988

S.O.865 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 8, read with sub-section (2) of section 9 and sub-section (1) of section 115, of the Gold (Control) Act, 1968 (45 o 1968), I, K.V.R. Nair, Administrator, being of the opinion that the special circumstances specified in the Scheme notified by the Government of India in the Ministry of Commerce in Para 323 (A) of Chapter XXI of Part II of the Import and Export Policy (1988-91) and the procedures stipulated vide REP circular No. 22/88, dated the 15th June, 1988 issued b0 the Chief Controller of Imports and Exports, so require, hereby authorise, —

(1) The following branches of the Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd. —

(i) The Minerals ad Metals Trading Corporation of In lia Ltd., F Block, Jhandewalan Flatted Factories Complex, Rani Jhansi Road, New Delhi-110055;

(ii) The Minerals and Metals Trading Corporation of In dia Ltd., Santacruz Electronic Export Processing Zone, Andheri (East), Bombay-400096,—

(a) To acquire, accept, or otherwise receive primary gold, gold intermediates and components, including gold alloys' carat gold, coloured gold and findings of 0.995 fineness and below;

(b) to sell, deliver, transfer or otherwise dispose of such gold to licenced dealer in the hundred percent export oriented complexes or free trade zones;

(2) The licenced dealers referred to in item (1) (b) to acquire, accept or otherwise receive such gold so sold by the aforesaid two branches of the Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd.:

Provided that the licenced dealer shall not sell or otherwise dispose of such gold to any other licenced dealer but may —

(a) Use such gold in the making, manufacturing or preparing of ornaments or articles or both within the premises of the hundred percent export oriented complexes or free trade zones;

(b) Deliver or transfer such gold to a certified goldsmith employed for the purpose of making, manufacturing or preparing of ornaments or articles or both within the premises of the hundred percent export oriented complexes or free trade zones.

[F.No.143/19/87—GC.]

K.V.R. Nair, Gold Control Administrator

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
Publications, Delhi-110054, 1988

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 468] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 1988/भाद्र 25, 1910
No. 468] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 1988/BHADRA 25, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1988

अधिसूचना

(रबड़ नियंत्रण)

का. आ. 866(अ) :—केन्द्रीय सरकार, रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ के पठित, रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित